रूप क्रमांक 2

(देखिये नियम 7)

मध्य प्रदेश शासन

समिति का पंजीयन प्रमाण पत्र

क्रमांक **03/32/01/20429/18**

यह प्रमाणित किया जाता है कि **काशी एजुकेशन सोसाइटी**,समिति जो **01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा** तहसील **खण्डवा** जिला **खण्डवा** में स्थित है, मध्य प्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (सन् 1973 का क्रमांक 44) के अधीन **08 फरवरी 2018** को पंजीयित की गई है।

Signature valid

Digitally Signed By Ajay Kumar Khare

(Personal)

Date : 08-Feb-2018 18:32:52 IST

दिनांक 08 फरवरी 2018

समितियों के रजिस्ट्रार

Shukla

Principal

KASHI ELITE SCHOOL

Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.

Khandwa 450001

A Shukla..

KASHI EDUCATION SOCIETY

Note : This is a Digitally Signed document On 08/02/2018 05:34 PM

प्रारूप क्रमांक 1	
(देखिये नियम 3)	
समितियों के पंजियन हेतु ज्ञापन-पत्र	
आवेदन क्रमांक : S321010482511101 2018	अनुमोदन दिनाँक : 21 Jan 2018

1.	**सोसायटी का नाम** काशी एजुकेशन सोसाइटी **होगा।**
2.	**सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक** 01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा 450001 **तहसील** Khandwa **जिला** Khandwa **मध्य प्रदेश में स्थित होगा।** **सोसायटी का संपर्क नंबर (अध्यक्ष/सचिव)** 9827275379 **ईमेल आईडी** kashieducationsociety@india.com
3.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**
1	समाज में गरीब विद्यार्थियों, को नि:शुल्क शिक्षण प्रदान करना ।
2	शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उचित व उच्च शिक्षण देने हेतु विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना करना ।
3	शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने हेतु विभिन्न गतिविधियों जैसे - सेमिनार, कान्फ्रेंस व वर्कशाप का संचालन करना ।
4	शिक्षा क्षेत्र में उच्च शिक्षा जैसे - तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व प्रबंध शिक्षा उपलब्ध करवाना व उसके लिए विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना करना ।
	देश में खेलकूद की नई प्रतिभाओ को उभारना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उनके लिये खेल सुविधाऐं मुहैया कराना।
6	स्कुल व कालेज व अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थीओं के बहुमूखी विकास और बेहतर नौकरी, व्यवसाय हेतु मार्गदर्शन व मदद करना ।
7	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देना ।
8	शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय ,कम्प्युटर इन्स्टीटयूट तथा प्री एक्जाम एवं प्रतियोगिता प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना ।
9	शासन से महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर शिक्षक प्रशिक्षण, नर्स प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन करना ।
4.	4. सोसायटी के कामकाज का प्रबंध सोसायटी के विनियमों द्वारा गवर्नर संचालक परिषद समिति या शासी निकाय को सौंपा गया है, जिनके नाम, पते तथा उपजीविका नीचे विनिर्विष्ट की गई है:-

KASHI EDUCATION SOCIETY

Principal
KASHI ELITE SCHOOL
Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.
Khandwa 450001

क्रमांक	नाम	पिता/पति का नाम	पद	पूर्ण पता	व्यवसाय
1	मयंक शुक्ला	श्री त्रिभुवन प्रसाद शुक्ला	अध्यक्ष	01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	किसान
2	हेमा शुक्ला	श्री मयंक शुक्ला	उपाध्यक्ष	01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	व्यवसायी
3	शशांक शुक्ला	श्री त्रिभुवन प्रसाद शुक्ला	सचिव	01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	अधिवक्ता
4	आयुष शुक्ला	श्री मयंक शुक्ला	कोषाध्यक्ष	01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	व्यवसायी
5	इकबाल अहमद	श्री मोहम्मद अली	संयुक्त सचिव	वार्ड न. 8, 06 लक्ष्मी बाई मार्ग भीकनगांव, Bhikangaon, Khargone, Madhya Pradesh	व्यवसायी
6	क्षितीज शुक्ला	श्री मयंक शुक्ला	सदस्य	01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	इंजीनियर
7	अनुशांक शुक्ला	श्री शशांक शुक्ला	सदस्य	01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	अधिवक्ता
8	आयशा बानो	श्री इकबाल अहमद	सदस्य	वार्ड न. 8, 06 लक्ष्मी बाई मार्ग भीकनगांव, Bhikangaon, Khargone, Madhya Pradesh	व्यवसायी

5. समिति के इस ज्ञापन पत्र के साथ समिति के विनियमों की एक प्रमाणित प्रति जैसा कि मध्यप्रदेश सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 44) की धारा 5 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित है, संलग्न है। हम, अनेक व्यक्ति, जिनके नाम और पते लिखे हैं, समिति का निर्माण उपरोक्त ज्ञापन पत्र के अनुसार करने के इच्छुक हैं तथा ज्ञापन-पत्र पर निम्नांकित साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर किये हैं।

क्रमांक	निर्माणकर्ताओं के नाम, पूर्ण पते, पिता/ पति का नाम सहित	हस्ताक्षर
1	मयंक शुक्ला , श्री त्रिभुवन प्रसाद शुक्ला, 01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	Shukla
2	हेमा शुक्ला , श्री मयंक शुक्ला, 01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	HShukla
3	शशांक शुक्ला , श्री त्रिभुवन प्रसाद शुक्ला, 01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	[illegible]
4	आयुष शुक्ला , श्री मयंक शुक्ला, 01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	AShukla
5	इकबाल अहमद , श्री मोहम्मद अली, वार्ड न. 8, 06 लक्ष्मी बाई मार्ग भीकनगांव, Bhikangaon, Khargone, Madhya Pradesh	[illegible]
6	क्षितीज शुक्ला , श्री मयंक शुक्ला, 01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	[illegible]
7	अनुशांक शुक्ला , श्री शशांक शुक्ला, 01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक, शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा, Khandwa, Khandwa, Madhya Pradesh	[illegible]
8	आयशा बानो , श्री इकबाल अहमद, वार्ड न. 8, 06 लक्ष्मी बाई मार्ग भीकनगांव, Bhikangaon, Khargone, Madhya Pradesh	Ayesha Bano

Principal
KASHI ELITE SCHOOL
Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.
Khandwa 450001

AShukla..
KASHI EDUCATION SOCIETY

6.	हम निम्नानुसार पदाधिकारी / सदस्य आदर्श उप-विधियाँ प्रारूप-एक क को सोसाइटी की उप-विधियों के रूप में स्वीकार करते हैं। (अध्यक्ष) (सचिव) (कोषाध्यक्ष/ सदस्य) दिनांक........24/11/18........

सोसाइटी से संबंधित दस्तावेज संलग्न करे

चालान क्रमांक SBIN000615914751101201879845

नियमावली

पदाधिकारी के पहचान पत्र की जानकारी

पहचान पत्र के लिये Voters Identity Card — पहचान पत्र का क्रमांक 647647304799

पदाधिकारी के पता की जानकारी

पता के लिये Voters Identity card — पते का क्रमांक 647647304799

Uploaded ID Proof

Uploaded Address Proof

साक्षी:-

हस्ताक्षर :-.................................

साक्षी का नाम :- एस आर पटेल

साक्षी का पिता/पति:- श्री विश्राम पटेल

पूर्ण पता :- 74 कानूनगो मार्केट रामेश्वर रोड खण्डवा

KASHI EDUCATION SOCIETY

Principal
KASHI ELITE SCHOOL
Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.
Khandwa 450001

S321

नियमावली

आवेदन क्रमांक : S321010482511101 2018 — अनुमोदन दिनाँक : 21 Jan 2018

1.	सोसायटी का नाम काशी एजुकेशन सोसाइटी होगा।
2.	सोसायटी का प्रधान कार्यालय मकान क्रमांक 01 काशी भवन पुराना रेल्वे ट्रेक शुक्ला फार्म सुदामा नगर के पास खण्डवा 450001 तहसील खण्डवा जिला खण्डवा मध्य प्रदेश में स्थित होगा।
3.	संस्था का कार्यक्षेत्र संपूर्ण मध्यप्रदेश होगा।
4.	**3. सोसायटी के उद्देश्य निम्नानुसार होंगे:-**

1	समाज में गरीब विद्यार्थियों, को नि:शुल्क शिक्षण प्रदान करना ।
2	शिक्षण प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को उचित व उच्च शिक्षण देने हेतु विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना करना ।
3	शिक्षा का प्रचार व प्रसार करने हेतु विभिन्न गतिविधियों जैसे - सेमिनार, कान्फ्रेंस व वर्कशाप का संचालन करना ।
4	शिक्षा क्षेत्र में उच्च शिक्षा जैसे - तकनीकी शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा व प्रबंध शिक्षा उपलब्ध करवाना व उसके लिए विद्यालय व महाविद्यालय की स्थापना करना ।
5	देश में खेलकूद की नई प्रतिभाओ को उभारना, उन्हें प्रशिक्षित करना, उनके लिये खेल सुविधाऐं मुहैया कराना।
6	स्कुल व कालेज व अन्य प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से विद्यार्थीओं के बहुमूखी विकास और बेहतर नौकरी, व्यवसाय हेतु मार्गदर्शन व मदद करना ।
7	ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में महिलाओं एवं बालकों को व्यावसायिक शिक्षा देना ।
8	शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु पूर्व प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, महाविद्यालय ,कम्प्युटर इन्स्टीटयूट तथा प्री एक्जाम एवं प्रतियोगिता प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना व संचालन करना ।
9	शासन से महाविद्यालय की मान्यता प्राप्त कर शिक्षक प्रशिक्षण, नर्स प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षण प्रशिक्षण का संचालन करना ।

5.	**सोसाइटी के सदस्य निम्नलिखित प्रवर्गों के होंगे:-**
	(अ) संरक्षक सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपये 1000/- या अधिक एकमुश्त दान करता है या एक साल के भीतर बारह किश्तों में भुगतान करता है, सोसाइटी का संरक्षक सदस्य होगा।
	(ब) आजीवन सदस्यः वह व्यक्ति जो रूपए 500/- या अधिक का भुगतान करता है, सोसाइटी का आजीवन सदस्य होगा।

Principal
KASHI ELITE SCHOOL
Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.
Khandwa 450001

KASHI EDUCATION SOCIETY

(स) **साधारण सदस्यः** वह व्यक्ति जो रुपए 10/- प्रतिमाह या रुपए 120/- प्रतिवर्ष भुगतान करेगा, साधारण सदस्य होगा। साधारण सदस्य केवल उसी कालावधि के लिए सदस्य होगा, जिसके कि लिए वह अंशदान करेगा।

(द) **अवैतनिक सदस्यः** सोसाइटी की प्रबंधकारिणी समिति, किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को मानसेवी सदस्य बना सकती है, ऐसे सदस्य वार्षिक साधारण सम्मिलन में भाग से सकते हैं, परंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

6. **सदस्यता की प्राप्ति-**प्रत्येक व्यक्ति जो कि समिति का सदस्य बनने का इच्छुक हो लिखित रूप में आवेदन करना होगा| ऐसा आवेदन पत्र प्रबंधकारणी समिति को प्रस्तुत होगा जिसके आवेदन पत्र को स्वीकार करने या अमान्य करने का अधिकार होगा।

7. **सदस्यों की योग्यता-** संस्था का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यता होना आवश्यक हैः-

1.आयु 18 वर्ष से कम न हो।
2. भारतीय नागरिक हो।
3. समिति के नियमों के पालन की प्रतिज्ञा की हो।
4.सद्चरित्र हो तथा मधपान न करता हो |

8. **सदस्यता की समाप्ति-** संस्था की सदस्यता निम्नलिखित स्थिति में समाप्त हो जावेगीः-

1. मृत्यु हो जाने पर|
2. पागल हो जाने पर|
3. संस्था को देय चंदे की रकम नियम 5 में बताये अनुसार जमा न करने पर|
4. त्याग पत्र देने पर और वह स्वीकार होने पर|
5. चरित्रक दोष होने पर और कार्यकारिणी समिति के निर्णयानुसार निकाल दिये जाने पर जिसके निर्णय पारित होने की सूचना सदस्य को लिखित रूप में देना होगी।

9. **संस्था कार्यालय में सदस्य पंजी रखी जावेगी जिसमें निम्नलिखित ब्यौरे दर्ज किये जावेंगेः-**

1.प्रत्येक सदस्य का नाम, पता तथा व्यवसाय एवं दिनांक सहित हस्ताक्षर
2.वह तारीख जिसको सदस्यों को प्रवेश दिया गया व रसीद नंबर|
3.वह तारीख जिसमें सदस्यता समाप्त हुई हो।

KASHI EDUCATION SOCIETY

Principal
KASHI ELITE SCHOOL
Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.
Khandwa 450001

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

10. **(अ) साधारण सभा-** साधारण सभा में नियम 5 में दर्शाये श्रेणी के सदस्य समावेशित होंगे। साधारण सभा की बैठक आवश्यकतानुसार हुआ करेगी, परंतु वर्ष में एक बार बैठक अनिवार्य होगी। बैठक का माह तथा बैठक का स्थान व समय कार्यकारिणी समिति निश्चित कर 15 दिवस पूर्व प्रत्येक सदस्य को दी जावेगी। बैठक का कोरम 3/5 सदस्यों का होगा। संस्था की प्रथम आम सभा पंजीयन दिनांक से तीन माह के भीतर बुलाई जावेगी | उसमें संस्था के पदाधिकारियों का विधिवत निर्वाचन किया जावेगा। यदि संबंधित आमसभा का आयोजन किसी समय नहीं किया जाता तो पंजीयक को अधिकार होगा कि वह संस्था की आमसभा का आयोजन किसी जिम्मेदार कर्मचारी के मार्गदर्शन में एवं पदाधिकारियों का विधिवत चुनाव कराया जावेगा।

(ब)प्रबंधकारिणी सभा- प्रबंधकारिणी सभा बैठक प्रत्येक माह होगी तथा बैठक का एजेंडा तथा सूचना बैठक दिनांक से सात दिन पूर्व कार्यकारिणी के प्रत्येक सदस्य को भेजी जाना आवश्यक होगी। बैठक का कोरम 1/2 सदस्यों की होगी, यदि बैठक का कोरम पूर्ण नहीं होता है तो बैठक एक घंटे के लिए स्थगित की जाकर उसी स्थान पर उसी दिन पुनः की जा सकेगी, जिसके लिए कोरम की कोई शर्त नहीं होगी।

(स) विशेष- यदि कम से कम कुल संख्या (कुल सदस्यों की संख्या का) के 2/3 सदस्यों द्वारा लिखित रूप से बैठक बुलाने हेतु आवेदन करे तो उनके दर्शाए विषय पर विचार करने के लिए साधारण सभा की बैठक बुलायी जावेगी। विशेष संकल्प पारित हो जाने पर संकल्प की प्रति पंजीयक को संकल्प पारित हो जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर भेजा जावेगा। पंजीयक को इस संबंध में आवश्यक निर्देश जारी करने तथा समिति का परामर्श देने का अधिकार होगा।

11. **साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्यः-**

(क) संस्था के पिछले वर्ष का वार्षिक विवरण प्रगति प्रतिवेदन स्वीकृत करना।
(ख) संस्था की स्थाई निधि व सम्पत्ति की ठीक व्यवस्था करना।
(ग) आगामी वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्त करना।
(घ) अन्य ऐसे विषयों पर विचार करना जो प्रबंधकारिणी द्वारा प्रस्तुत हो।
(च) संस्था द्वारा संचालित संस्थाओं के आय व्यय पत्रकों को स्वीकृत करना।
(छ) बजट का अनुमोदन करना।

12. **प्रबंधकारिणी का गठन-** नियम 5 ((अ), (ब), (स)) में दर्शाए गए सदस्यों जिनके नाम पंजी रजिस्टर में दर्ज हो बैठक में बहुमत के आधार पर निम्नांकित पदाधिकारियों तथा प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों का निर्वाचन होगा।

(1)अध्यक्ष -1,(2)उपाध्यक्ष -1,(3)सचिव -1,(4)कोषाध्यक्ष -1,(5)संयुक्त सचिव -1,(6)सदस्य -3

13. **प्रबंध समिति का कार्यकाल-** प्रबंध समिति का कार्यकाल तीन वर्ष होगा। समिति का यथेष्टा कारण होने पर उस समय तक जब तक कि नई प्रबंधकारिणी समिति का निर्माण नियमानुसार या अन्य कारणों से नहीं हो जाता, करती रहेगी, किंतु उक्त अवधि 6 माह से अधिक नहीं होगी, जिसका अनुमोदन साधारण सभा से कराना अनिवार्य होगा।

Principal
KASHI ELITE SCHOOL
Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.
Khandwa 450001

KASHI EDUCATION SOCIETY

14. **प्रबंधककारिणी के अधिकार व कर्तव्य-**

(अ) जिन उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समिति का गठन हुआ है उसकी पूर्ति करना और इस आशय की पूर्ति हेतु व्यवस्था करना।

(ब) पिछले वर्ष का आय व्यय लेखा पूर्णतः परीक्षित किया हुआ प्रगति प्रतिवेदन के साथ प्रतिवर्ष साधारण सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।

(स) समिति एवं उनके अधीन संचालित संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान करना, संस्था की चल अचल सम्पत्ति पर लगने वाले कर आदि का भुगतान करना।

(द) कर्मचारियों,शिक्षकों आदि की नियुक्ति करना।

(इ) अन्य आवश्यक कार्य करना, जो साधारण सभा द्वारा समय-समय पर सौंपे जाए।

(च) संस्था की समस्त चल अचल सम्पत्ति, कार्यकारिणी समिति के नाम से रहेगी।

(छ) संस्था द्वारा कोई भी स्थावर सम्पत्ति, रजिस्ट्रार की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा या अन्यथा अर्जित या आंतरित नहीं की जाएगी।

15. **अध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष साधारण सभा तथा प्रबंधकारिणी समिति की समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा तथा मंत्री द्वारा साधारण सभा में प्रबंधकारिणी की बैठकों का आयोजन करवायेगा। अध्यक्ष का मत विचारार्थ विषयों में समान मत होने पर निर्णयात्मक होगा।

16. **उपाध्यक्ष के अधिकार-** अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष द्वारा साधारण सभा एवं प्रबंधकारिणी की, समस्त बैठकों की अध्यक्षता करेगा। अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का उपयोग करेगा।

17. सचिव, एक समय में रु. 5000/- तक की राशि मंजूर करने हेतु प्राधिकृत होगा।

18. **संयुक्त सचिव के अधिकार-** सचिव की अनुपस्थिति में संयुक्त सचिव कार्य करेगा

19. **कोषाध्यक्ष के अधिकार-** समिति की धनराशि का पूर्ण हिसाब रखना तथा सचिव या कार्यकारिणी द्वारा स्वीकृत व्यय करना।

20. **बैंक खाता-** सोसाइटी की निधियां अधिसूचित बैंक या पोस्ट आफिस में जमा की जावेगी। निधियों का आहरण अध्यक्ष/सचिव तथा कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जाएगा। प्रतिदिन के व्यय के लिए कोषाध्यक्ष के पास अधिकतम रु. 5000/- रहेंगे।

21. **पंजीयक को भेजी जाने वाली जानकारी-** अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत संस्था की वार्षिक आम सभा होने के दिनांक से 45 के दिन भीतर विहित शुल्क के साथ निर्धारित प्रारूप पर कार्यकारिणी समिति की सूची फाईल की जावेगी तथा धारा 28 के अंतर्गत विहित शुल्क के साथ संस्था एवं संचालित समस्त ईकाइयो को परीक्षित लेखा भेजेगी।

22. **संशोधन-** संस्था के विधान में संशोधन साधारण सभा की बैठक में कुल सदस्यों के 2/ 3 मतों से पारित होगा, यदि आवश्यक हुआ तो संस्था के हित में उसके पंजीकृत विधान में संशोधन करने के अधिकार पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं को होगा, जो प्रत्येक सदस्य को मान्य होगा।

Principal
KASHI ELITE SCHOOL
Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.
Khandwa 450001

हस्ताक्षर | हस्ताक्षर | हस्ताक्षर

KASHI EDUCATION SOCIETY

कोषाध्यक्ष

23.	**विघटन-** संस्था का विघटन साधारण सभा में कुल सदस्यों के 3/ 5 मत से पारित किया जावेगा। विघटन के पश्चात संस्था की चल तथा अचल सम्पत्ति किसी समान उद्देश्यों वाली संस्था को सौंप दी जावेगी। उक्त समस्त कार्यवाही अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जावेगी।
24.	**सम्पत्ति-** संस्था की समस्त चल तथा अचल सम्पत्ति संस्था के नाम से रहेगी। संस्था की अचल सम्पत्ति (स्थावर) रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएं की लिखित अनुज्ञा के बिना विक्रय द्वारा, दान द्वारा या अन्यथा प्रकार से अर्जित या अंतरित नहीं की जा सकेगी।
25.	**पंजीयक द्वारा बैठक बुलाना-** संस्था की पंजीयत नियमावली के अनुसार पदाधिकारियों द्वारा वार्षिक बैठक न बुलाए जाने पर या अन्य प्रकार से आवश्यक होने पर पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थाएं की बैठक बुलाने का अधिकार होगा। साथ ही यह बैठक में विचारार्थ विषय निष्चित कर सकेगा।
26.	**विवाद-** संस्था में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर अध्यक्ष को साधारण सभा की अनुमति से सुलझाने का अधिकार होगा। यदि इस निष्चित या निर्णय से पक्षों को संतोष न हो तो वह रजिस्ट्रार की ओर विवाद के निर्णय के लिए भेज सकेगा। रजिस्ट्रार का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा। संचालित संस्थाओं के विवाद अथवा प्रबंध समिति के विवाद उत्पन्न होने पर अंतिम निर्णय देने का अधिकार रजिस्ट्रार को होगा।

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर
अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

Principal
KASHI ELITE SCHOOL
Opp. To Smart City Near Navkar Nagar.
Khandwa 450001

KASHI EDUCATION SOCIETY